नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

भोपाल 70 वां वर्ष संस्करण

4 आरएसएस और बीजेपी का चश्मा!

5 कोडिन की लड़ाई 'नमूने' तक आयी

8 2025भारत के लिए विजेताओं का साल

9 उद्योग सूचकांक दिसंबर में 3.8% बढ़ा

मजबूत होगी आर्थिक साझेदारी

भारत-न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर लगी मुहर

नई दिल्ली, 22 दिसंबर. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लग गई है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लस्कन ने इस सिलसिले में टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने मिलकर एक अहम भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की घोषणा की. दोनों देशों के बीच 20 बिलियन डॉलर (करीब 200 करोड़) का निवेश होगा.

दोनों देशों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि एफटीए दोनों देशों के बीच ज्यादा व्यापार, निवेश, नवाचार और मिले-जुले मौकों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा. दोनों देशों के बीच रक्षा, खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में भी विकास का स्वागत किया. बता दें कि ओमान, ब्रिटेन, ईएफटीए देशों, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के बाद पिछले कुछ वर्षों में

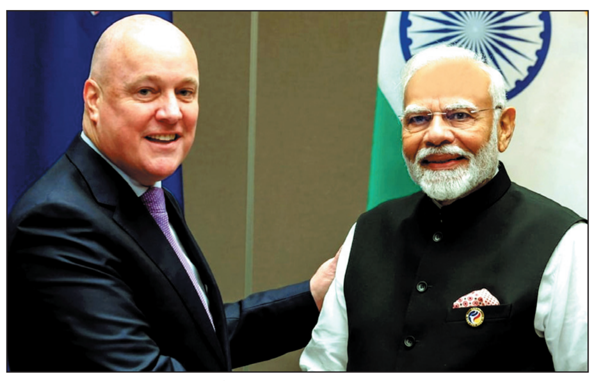

यह भारत का 7वां एफटीए है.

बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने अगले पांच साल में आपसी व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 साल में न्यूजीलैंड से भारत में 20 बिलियन डॉलर के निवेश का भरोसा जताया है. नौ महीने के रिकॉर्ड समय में एफटीए को किया पूरा इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से बयान भी जारी किया है. बयान के अनुसार, बातचीत इस साल मार्च में शुरू हुई और दोनों नेताओं ने नौ महीने के रिकॉर्ड समय में एफटीए को पूरा किया. यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाता है.

भारतीय एफटीए में सबसे बड़ी टैरिफ रियायत

यह ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ को या तो पूरी तरह समाप्त करता है या फिर काफी कम करता है. यह किसी भी भारतीय एफटीए में अब तक की सबसे बड़ी टैरिफ रियायत मानी जा रही है.

अमित शाह ने भारत-न्यूजीलैंड एफटीए की सराहना की

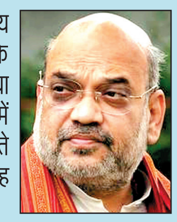

मोदी सरकार की व्यापार कूटनीति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सरकार के प्रयासों की खुलकर सराहना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए अपने संदेश में अमित शाह ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह समझौता देश के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देगा।

एक नजर में

एयर इंडिया प्लेन का एक इंजन हवा में हुआ बंद

नई दिल्ली. एयर इंडिया का दिल्ली से मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान में टेक ऑफ के बाद खराबी आ गई. जानकारी के अनुसार विमान का एक इंजन बंद हो गया. इस कारण दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. विमान में कुल 335 यात्री सवार थे. सभी को सुरक्षित उतारा गया है. एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि उड़ान संख्या एआई 887 दिल्ली से मुंबई जा रही थी. रास्ते में तकनीकी समस्या के कारण चालक दल के सदस्यों ने विमान को वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारने का फैसला किया. विमान की दिल्ली में सकुशल लैंडिंग हुई और सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारा गया. उन्हें पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि विमान की जांच की जा रही है.सूत्रों के अनुसार, उड़ान भरने के तुरंत बाद इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर कम होने का संकेत मिला. कुछ देर बाद ही प्रेशर घटकर शून्य हो गया.

अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए यूनुस जिम्मेदार

ढाका. बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने देश में बढ़ती भारत विरोधी भावना के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार की गलत नीतियों के कारण ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास पैदा हुई है. हसीना ने भारत को बांग्लादेश का भरोसेमंद दोस्त बताया और कहा कि अंतरिम सरकार जानबूझकर भारत के खिलाफ बयान दे रही है. उनके अनुसार कट्टरपंथी ताकतें अब हिंसा पर उतारू हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है. हसीना ने भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि भारतीय दूतावास और मीडिया दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं. उन्होंने हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रही है.

प्रयाग समूह की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज 2,863 करोड़ के धनशोधन मामले में 110 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने बताया कि आईपीसी, 1860 और पुरस्कार चिट एवं धन परिसंचरण योजना अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर प्रयाग समूह द्वारा अनधिकृत जमा योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध जमा राशि जुटाने से संबंधित है। प्रयाग इन्फोटेक हाई-राइज लिमिटेड और प्रयाग इन्फोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमि. के माध्यम से आरबीआई या सेबी की किसी भी स्वीकृति के बिना अवैध जमा एवं धन परिसंचरण योजनाओं के माध्यम से उच्च रिटर्न का लालच देकर 38,71,674 जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी की और कुल 2,863 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की.

अमेरिका ने 30 करियर राजनयिकों को वापस बुलाया

वाशिंगटन, 22 दिसंबर. अमेरिकी सरकार विदेशों में अमेरिकी मिशनों में राजदूत और अन्य वरिष्ठ पदों पर तैनात विदेश सेवा के करीब 30 अधिकारियों को वापस बुला रही है. एसोसिएटेड प्रेस ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. एजेंसी के अनुसार कम से कम 29 देशों में राजनयिक मिशनों के प्रमुखों को पिछले हफ्ते सूचित किया गया था कि उनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा. इन सभी ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अपने पद संभाले थे. सबसे ज्यादा अमेरिकी राजदूतों को अफ्रीका से वापस बुलाया गया है. जिन देशों से अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाया गया है, उनमें बुरुंडी, कैमरून, केप वर्डे, गैबॉन, कोटे डी आइवर, मेडागास्कर, मॉरीशस, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, सोमालिया और युगांडा शामिल हैं. एशियाई देशों से छह राजदूतों को वापस बुलाया गया जिनमें फिजी, लाओस, मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और वियतनाम में अमेरिकी राजदूत शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष से की भेंट

नई दिल्ली, 22 दिसंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली के बिहार निवास में नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा नितिन नबीन से सौजन्य मुलाकात की और उनको बधाई दी. मुलाकात के बाद सीएम ने बताया की नई पौध को प्रयास करके आगे लाना सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है.

उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व में सबसे युवा देश है और पूरे विश्व में भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनना सौभाग्य की बात है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है. यह सब बाबा महाकाल की कृपा है. मध्यप्रदेश गरीब महिलाओं और युवाओं के साथ हमेशा खड़ा है और आगे बढ़ रहा है.

डीआरडीओ-आरआरयू में समझौता

- रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में बढ़ेगा सहयोग
- अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को मिलेगी गति

नई दिल्ली, 22 दिसंबर. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और राष्ट्रीय रक्षा विवि (आरआरयू) ने अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस एमओयू पर डीआरडीओ की वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (उत्पादन समन्वय एवं सेवा अंत:क्रिया) डॉ. चंद्रिका कौशिक

और आरआरयू के कुलपति प्रो. (डॉ.) बिमल एन. पटेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत भी मौजूद रहे.

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य भारत की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूत बनाना है. यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' और 'अमृत काल' की व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि को आगे बढ़ाती है. इसके तहत सामूहिक भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को अत्याधुनिक और अधिक सक्षम बनाने की परिकल्पना की गई है.

हर तहसील में वेदर स्टेशन और पंचायत में रेनगेज

कैबिनेट बैठक

अब गांव में कितनी बारिश हुई ये गांव वालों को भी होगा पता

कैबिनेट ने दी 434 करोड़ 58 लाख रुपये की मंजूरी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 22 दिसंबर. प्रदेश में अब हर तहसील में वेदर स्टेशन स्थापित किये जाएंगे, इतना ही नहीं ग्राम पंचायत स्तर पर भी रेनगेज यानी पानी मापने के यंत्र स्थापित होंगे.

तहसील और पंचायत में स्थापित होने वाले दोनों ही उपकरण पूरी तरह ऑटोमेटिक होंगे. इससे तहसील और आसपास के क्षेत्रों में मौसम कैसे रहेगा, ये पूरे तहसील क्षेत्र के साथ ही जिले और प्रदेश स्तर पर भी जानकारी मिल सकेगी, वहीं अब गांव में कितनी बारिश हुई, इसकी जानकारी प्रशासन के साथ ही ग्रामीणों को भी मिल सकेगी.

कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के डब्ल्यूआईएनडीएस यानी वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है.

इस सिस्टम को लगाने और ऑपरेट करने पर 434 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च होंगे. ये नया सिस्टम लगने से मौसम आधारित आंकडे उपलब्ध होंगे. मौसम के उच्च गुणवत्ता आंकड़े एकल डिजिटल प्लेटफार्म पर भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे. ये योजना फिलहाल पांच वर्ष के लिये मंजूर की गई है. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अगले पांच वर्ष तक लगातार संचालित किया जाएगा. कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मापदण्ड के क्रम में 16वां वित्त आयोग निर्धारित अवधि वर्ष 2026-27 से 2030-31 में अगले पांच वर्षों तक संचालित करने की मंजूरी दी है. यह योजना प्रदेश के सभी 55 जिलों की 453 बाल विकास परियोजनाओं के तहत 97 हजार 882 आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से संचालित की जाती है.

बड़वाह-धामनोद 4 लेन पर 2508 करोड़ होंगे खर्च

कैबिनेट ने बड़वाह-धामनोद 4-लेन मार्ग मय पेव्हड शोल्डर लंबाई 62.795 किमी के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत भू-अर्जन सहित उन्नयन एवं निर्माण के लिए 2,508 करोड़ 21 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है. परियोजना के तहत 10 बायपास, 5 बड़े पुल, 23 मध्यम पुल, 7 बड़े जंक्शन एवं 56 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जायेगा. निर्णय के तहत निर्माण की लागत का 40 प्रतिशत हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत मप्र सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा. बाकी 60 प्रतिशत राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा.

स्मृति का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज

- 4,000 टी20 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला
- भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि

विशाखापत्तनम, 22 दिसंबर (वार्ता) भारतीय स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ पहले महिला टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया और महिला क्रिकेट में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया.

बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल में 4,000 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक

बड़ी उपलब्धि है. कुल मिलाकर, मंधाना इस फॉर्मेट में 4,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाली दुनिया की दूसरी महिला हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड की महान खिलाड़ी सूजी बेट्स के साथ यह उपलब्धि हासिल की है, जो फिलहाल 4,716 रनों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने सिर्फ 3,227 गेंदों में 4,000 टी20 रन बनाए, जो बेट्स से काफी तेज है, जिन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए 3,675 गेंदें ली थीं, जो सबसे छोटे फॉर्मेट में मंधाना की निरंतरता और आक्रामक रवैये को दिखाता है.

हवाई सेवा से विंध्य के विकास को मिलेगी गति

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री ने रीवा-इंदौर हवाई सेवा का किया शुभारंभ

नवभारत न्यूज

रीवा, 22 दिसंबर, रीवा एयरपोर्ट की स्थापना के बाद विंध्य में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है. रीवा से इंदौर के लिए इंडिगो की 72 सीटर हवाई जहाज की सुविधा शुरू हो गई है.

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल तथा नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसका शुभारंभ किया. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्यवासियों का आज वर्षों का सपना पूरा हो रहा है. इंदौर तक हवाई सेवा की सुविधा से

विंध्यवासी कई बड़े शहरों से सीधे जुड़ जाएंगे. देश ही नहीं कई विदेश के शहरों के लिए भी अब जाना सुगम हो गया है. यह हवाई सेवा क्षेत्र में पर्यटन, शिक्षा और उद्योगों के विकास को गति देगी. विंध्य में मनोरम जलप्रपात, सुंदर वन और टाइगर रिजर्व, कई प्रसिद्ध मंदिर, सीमेंट और थर्मल पावर के बड़े कारखाने स्थित हैं. हवाई सेवा की सुविधा से विंध्य में तेजी से विकास होगा. रीवा में एयरपोर्ट के निर्माण में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा शिवराज सिंह चौहान एवं विंध्य के सांसदों ने सराहनीय योगदान दिया. नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि आज केवल एक फ्लाइट नहीं आई है. आज विंध्य के लिए विकास की सौगात आई है. हवाई सेवा के माध्यम से रीवा और विंध्य क्षेत्र सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े व्यावसायिक केन्द्र और मध्यप्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से जुड़ गया है.

एमपी में आज प्रकाशित होगी मसौदा मतदाता सूची

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (वार्ता) केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नई मतदाता सूचियों का मसौदा मंगलवार को प्रकाशित किया जाएगा। इस समय चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत इन राज्यों की सूचियों के शुद्धीकरण का काम भी चल रहा है। आयोग के अधिकारियों ने यहां बताया कि इन राज्यों और क्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) और जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) सूची के मसौदे की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को विशेष रूप से प्रस्तुत करेंगे.

स्वत: संज्ञान | वन भूमि अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उत्तराखंड सरकार को लगाई फटकार

अतिक्रमण होता रहा और सरकार देखती रही

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जे के आरोपों को लेकर सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की. सुको ने कहा कि अतिक्रमण पर अफसर मूकदर्शक बने हुए है. वन भूमि पर अतिक्रमण चौंकाने वाला है.

पहाड़ी जिलों में संरक्षित वन भूमि पर अनधिकृत कब्जे से जुड़ा यह मामला अदालत की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष

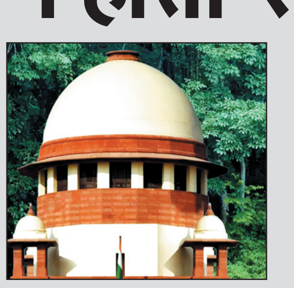

आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची शामिल थे.

पीठ ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए वन भूमि पर सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी. साथ ही वन विभाग को निर्देश दिया कि जहां पहले से रिहायशी मकान मौजूद नहीं हैं, वहां की सारी खाली वन भूमि अपने कब्जे में ली जाए. मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कथित निष्क्रियता पर चिंता जताई और कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी हो गया है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें यह देखकर हैरानी हो रही है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी आंखों के सामने वन भूमि पर कब्जा होते देख भी मूक दर्शक बने हुए हैं, इसलिए हम इस मामले में स्वत: संज्ञान ले रहे हैं. न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया कि वे एक तथ्य-जांच समिति गठित करें, जो जमीनी हालात का आकलन कर अतिक्रमण की सीमा और राज्य प्रशासन की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे.

माणिकराव कोकाटे की बची रहेगी विधायकी

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता मणिकराव कोकाटे की 1995 के धोखाधड़ी मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी. उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सीमित समय के लिए दोषसिद्धि पर रोक लगाने के आदेश से कोकाटे फिलहाल विधानसभा की अयोग्यता से बच जाएंगे, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने कोकाटे की ओर से बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया.

सोनिया-राहुल को हाईकोर्ट का नोटिस

- प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्शन लेने से किया था इंकार

नई दिल्ली, 22 दिसंबर. नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है.

दरअसल, इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्जशीट पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए 12 मार्च 2026 को सुनवाई की अगली तारीख दी है. ईडी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि अंतिम निष्कर्ष यह है कि 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों को 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल हुई है. तुषार मेहता ने कहा कि जून 2014 को एक व्यक्ति द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई.

गुस्ताखी माफ